दिनांक	आदेश
31.3.21	वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 7.4.21 को पेश हो।
7/4/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। [illegible] पत्रावली दि. 12.4.21 को पेश हो।
12.4.21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस में वकील वादी ने निवेदन किया कि मैनवां पटवार मण्डल द्वितीय तहसील मैनवां की कृषि भूमि ख. सं. 1197 रकबा 12 बीघा स्थित है जो सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। यह कि उक्त वर्णित भूमि पर वादी अपने पूर्वजों के समय से ही खेती काश्त करता चला आ रहा है। इस भूमि पर वादी लगभग 50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। यह कि उक्त कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के लिए वादी ने कई मर्तबा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया है। यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि उक्त भूमि को अपने खातेदारी में दर्ज करवाकर स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवाए। वादी ने अपने दावे के समर्थन में शपथपत्र, खसरा परिवर्तन की नकलें पेश की तथा बयान [illegible] अपने जवाब [illegible] पेश किये। सरकार तहसीलदार [illegible] पैरोकार [illegible] सिवायचक भूमि को [illegible] निवेदन किया कि [illegible] करने का कोई प्रावधान नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:47:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने वाद पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, बयान एवं प्रतिवादी के जवाब आदि का अवलोकन किया। बहस वकील वादी सुनी। तहसीलदार नैनवां के जवाब से स्पष्ट है कि सिवायचक भूमि को खातेदारी में दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः वादी का वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता है वादी का वाद खारिज किया जाता है डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:47:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner